न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र **02/2018**

अनवान :–

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1 श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री गिरधरलाल गांधी जाति गांधी (विक्रेता मालिक) मैसर्स गांधी गिरधरलाल कन्हैयालाल, कोटगेट के बाहर, बीकानेर(राज.)

2 श्री लक्ष्मीनारायण चाण्डक पुत्र श्रीगोपाल चाण्डक मैसर्स चाण्डक एजेन्सीज, गोविन्द मार्केट, फड़बाजार बीकानेर (राज.)

3 श्री राहुल श्रीवास्तव पुत्र श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव (नोमिनी डिपो निर्माता फर्म)
M/S- NIF PVT LTD, Shop No. 19,20,21 Shyam Vihar, Sabji Mandi ke Samne Road No. 14, Jaipur-1(Raj.) 302013
{R.Office-119,120,121, Block P & T, Fazal Ganj, Kalpi Road, Kanpur 208012 (U.P)
Factory-Village- Bahermapur-Shivrajpur, Tehsil-Bilhour, Dist.- Kanpur Nagar Pin 2095205(U.P)}

4 M/S- NIF PVT LTD, Shop No. 19,20,21 Shyam Vihar, Sabji Mandi ke Samne Road No. 14, Jaipur- 1(Raj.) 302013(डिपो निर्माता फर्म)
{R.Office-119,120,121, Block P & T, Fazal Ganj, Kalpi Road, Kanpur 208012 (U.P)
Factory-Village- Bahermapur-Shivrajpur, Tehsil-Bilhour, Dist.- Kanpur Nagar Pin 2095205(U.P)}

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से – श्री राजेश कुमार सुथार अधिवक्ता
3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से – श्री यू.एस. शर्मा अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 31.12.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.04.2017 को अप्रार्थीपक्ष श्री कन्हैयालाल पुत्र गिरधरलाल गांधी (विक्रेता मालिक) मैसर्स– गांधी गिरधरलाल कन्हैयालाल, कोटगेट के बाहर, बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान दुकान में रखी कुंल 15 पक्कड मोनो कार्टन प्रत्येक 200 मिली घी(नमस्ते इण्डिया) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त 15 पैक्ड मोनो कार्टन प्रत्येक 200 मिली मोनो कार्टन में से 4 पैक्ड मोनो कार्टन प्रत्येक 200 मिली घी(नमस्ते इण्डिया) नमूना संग्रह हेतु क्रय कर विक्रेता श्री कन्हैयालाल द्वारा बताये अनुसार मूल्य 360/– रूपये में प्रार्थी द्वारा विक्रेता श्री कन्हैयालाल को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उसी समय विक्रेता को फार्म नं. 5 ए पर जांच हेतु नमूना संग्रह करने की लिखित सूचना देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहन एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन बीकानेर के कोड एवं क्रमांक एबी–864 लिखा तथा अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया वं प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड वं क्रमांक एबी–864 गोंद से नियमानुसार नीचे, उपर व दायें–बायें 4–4 जगह पर चपड़ी से सील मोहर किया। चारों नमूना भागों पर कोड व क्रमांक एबी–864 अंकित कर विवरण लिखकर स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता व गवाहान ने नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबंद नमूना भागें को प्रार्थी ने जाब्तें लिया। तत्पश्चात् प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने मालिक (विक्रेता) व गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सीलबन्द नमूनों में से एक सीलबन्द नमूना मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./856/Act/ 2017/923 दिनांक 03.05.2017 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी (नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा घी (नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री राजेश कुमार सुथार अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री यू.एस.शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि दिनांक 03.05.2017 को कोई सूचना रजिस्टर्ड डाक से उतरदाता को प्राप्त नहीं है। मैसर्स चाण्डक एजेन्सीज व मैसर्स गांधी रिगधरलाल कन्हैयालाल मैसर्स एन.आई.एफ.प्रा.लि. कानपुर डीपों निर्माता फर्म नमस्ते इण्डिया ब्रॉण्ड के माल के विक्रेता है उनके पास जो माल आता है वह पूर्णरूप से शुद्ध व तमाम मापदण्डों में खरा माल होता है जिसकी आज तक कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उतरदाता को जो माल मिलता है उतरदाता उसी पैंकिंग में माल को विक्रय करते है। जैसा कि खाद्य अधिकारी ने लिखा है कि माल पूर्णरूप से पैक था। अर्थात् उतरदाता द्वारा उक्त पैंकिंग के साथ किसी भी की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। ऐसे में किसी भी प्रकार की चूक व अपराध उतरदाता द्वारा नहीं किया गया है। माल पूर्णरूप में उसी अवस्था में था, जिस अवस्था में कम्पनी द्वारा उतरदाता को माल भेजा गया था। उतरदाता द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। ऐसे में उतरदाता पर लगाये गये चार्ज चलने योग्य नहीं है। खाद्य अधिकारी को किसी भी सख्स द्वारा कोई शिकायत कभी नहीं की गई है न ही खाद्य अधिकारी ने मौके पर जांच करते समय पारदर्शिता रखी है। खाद्य अधिकारी ने अपने अधिकारों का नाजायज उपयोग करते हुए अनावश्यक रूप से उतरदाता को अभियुक्त बनाया है। गवाह मौके पर रखे है वे भी अस्पष्ट गवाह है। इसलिए भी आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः उतरदातागण को आरोपत मुक्त किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि उक्त प्रकरण में जो सैम्पल लिये गये है उसकी एनालिस्ट की रिपोर्ट अनुसार सैम्पल का सबस्टेण्डर्ड नहीं पाया गया है सभी निर्धारित मापदण्ड पूण है। लेबल पर अंकन होने के आधार पर मिसब्राण्ड गलत घोषित किया गया है। इस संबंध में न्याय निर्णय अधिकारी, बाड़मेर, भरतपुर, अलवर इत्यादि के द्वारा कार्यवाही समाप्त की गई है। अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। इसके अतिरिक्त दौराने बहस बचाव के लिए अतिरिक्त आधार संबंधी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर कथन किया कि स्टेट हैल्थ लेबोरेट्री जयपुर एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। इसलिए उसके एनालिस्ट रिपोर्ट 03.05.2017 के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

5. तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

6. विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी (नमस्ते इण्डिया) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Ghee (Namaste India) bearing Code No. and Sr. No. AB-864 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravention of Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी (नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

7. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 (नमस्ते इण्डिया) ब्राण्ड घी का विक्रेता एवं वितरक है। जिसका निर्माता मैसस नमस्ते इण्डिया फूड् NIF प्रा. लिमिटेड के नाम से विख्यात है। नमस्ते इण्डिया घी के सैम्पल के संबंधी में सभी निर्धारित मापदण्ड पूर्ण रखता है तथा उनके पैंकिंग सर्वगुण सम्पन्न का सत्यापन करता है। नमस्ते इण्डिया घी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है और ना ही जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। लेबल पर अंकित विवरण के आधार पर नमस्ते इण्डिया ब्राण्ड घी को मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। जबकि नमस्ते इण्डिया घी ब्राण्ड जांच परिणाम में सही पाई गई है। स्टेट हैल्थ लेबोरेटरी जयपुर एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। इसलिए खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 03.05.17 के आधार पर कोई संज्ञान नहीं लिया जावे। न्याय निर्णयन अधिकारी बाड़मेर, भरतपुर इत्यादि द्वारा इस प्रकार के प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही समाप्त की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने बहस के समर्थन में Hope Plantation Ltd. Vs Taluk Land Board(1999) 5 Supreme Court Cases 590, Daryao Vs State of U.P. (1962) 1 Supreme Court Reports 574 & Adm Agro Industries Latur & Vaizag Pvt. Ltd vs Food Safety aand Standards Authority of India, Ministry of Health & Family, Welfare (2015 (2) FAC 211) के उद्धरण प्रस्तुत किये।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

8. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नमस्ते इण्डिया घी के मोनो कार्टन 200 मिली के सैम्पल प्राप्त कर जांच हेतु प्रेषित किये गये। जिस पर एलानिस्ट की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2017 में उक्त पैकेट में (नमस्ते इण्डिया) ब्राण्ड घी को निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाया गया। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय एवं प्रस्तुत की गई नजीर का प्रश्न है वे उक्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा नहीं होने एवं कानून रूप से बाध्यकारी नहीं है। साथ ही अप्रार्थी का यह कथन कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर राजस्थान को मान्यता प्राप्त नहीं है की रिपोर्ट को संज्ञान में नहीं लिया जावे, के संबंध में अप्रार्थी स्वयं ने अपनी बहस में दौहरे मापदण्ड अपनाये। जहां एक तरफ उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपने उत्पाद को सबस्टेण्डर्ड नहीं होना बता रहे है वहीं मिसब्राण्ड होने की रिपोर्ट के लिए लेबोरेटरी की मान्यता होना नहीं बता रहे है और जहां तक उक्त प्रकरण लेबोरेटरी जांच का प्रश्न है उसका वैसे ही ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि मामला सबस्टैण्डर्ड का ना होकर मिसब्राण्ड का है तथा रेपर पर अंकित सूचना स्पष्ट है कि ये मिथ्या एवं भ्रम मे डालने वाली है जिससे उपभोक्ता भ्रमित होता है। क्योकि धी के पैंकिग पर सर्वगुण सम्पन्न देशी घी होना अंकित किया है। जो कि उपभौक्ता में भ्रम पैदा करता है। इस आधार पर इये मिसब्राण्ड माना गया है जो कि उचित है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 20.04.2017 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण पैकिंग घी(नमस्ते इण्डिया) 15 पैक्ड मोनो कार्टन प्रत्येक 200 मिली मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाई गई घी(नमस्ते इण्डिया)की सैम्पलिंग रिर्पोट में घी(नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S./856/Act/ 2017/923 दिनांक 03.05.2017 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Ghee (Namaste India) bearing Code No. and Sr. No. AB-864 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravention of Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी(नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

9. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा खाद्य पदार्थ घी(नमस्ते इण्डिया) (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

10. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में खाद्य पदार्थ घी(नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत 50,000/– अखरे रूपये **पचास हजार** मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

11. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

12. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष विनिर्माता अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि **50,000/-** में से रूपये **30,000/- (अखरे तीस हजार रूपये)** के लिए अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 को समान रूप से भरने हेतु दायी होगे। अर्थात अप्रार्थी संख्या 3 व 4 प्रत्येक 15-15 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगा।

13. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री खाद्य पदार्थ घी(नमस्ते इण्डिया) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 20,000/- रूपये अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 2 वितरक समान रूप से भरने हेतु दायी होगे। अर्थात प्रत्येक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की शास्ति राशि 10-10 हजार रूपये भरने हेतु दायी होगा।

14. इस प्रकार आरोपित **50,000/-** रूपये की शास्ति में से **अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) 10,000/- रूपये** एवं **अप्रार्थी संख्या 2** वितरक 10,000/- रूपये, **अप्रार्थी संख्या 3 (नोमिनी डिपो निर्माता फर्म) की शास्ति राशि रू 15,000/-, अप्रार्थी संख्या 4 की शास्ति राशि रू. 15,000/- हजार रूपये (डिपो निर्माता फर्म) शास्ति अदा करेगें।**

15. इसके साथ-साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

16. निर्णय आज दिनांक **31.12.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा.),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर